न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल मध्याप्रदेश,

जिला ग्वालियर

प्र. क्र. /निगरानी/ /3/2013 R-3220-III/13

1. श्रीमती गायत्रीदेवी पत्नी स्व0श्री जंगबहादुर सिंह
2. अशोक प्रतापसिंह पुत्र स्व0श्री जंगबहादुरसिंह
3. आलोक प्रतापसिंह पुत्र स्व0श्री जंगबहादुरसिंह
4. अवनीश प्रतापसिंह पुत्र स्व0श्री जंगबहादुरसिंह
5. अभय प्रतापसिंह पुत्र स्व0श्री जंगबहादुरसिंह

निवासीगण न्यू कॉलोनी छतरपुर.....प्रार्थीगण

बनाम

1. त्रिलोचन कौर पत्नी श्री अतरजीतसिंह निवासी छोला रेड लाल परेड मैदान के पीछे शुक्लानी का मकान भोपाल
2. इन्द्रपालसिंह पुत्र श्री नारायनसिंह निवासी सर्किट हाउस के पीछे नारायणपुर रोड छतरपुर
3. सुमेरसिंह पुत्र श्री हरिचरनसिंह (फौत) द्वारा मंगलसिंह विधिक प्रतिनिधि निवासी लारौन जिला टीकमगढ ....प्रतिप्रार्थीगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभि० द्वारा आज दि 24-8-13 को प्रस्तुत
24-8-13
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

म0प्र0 भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय तहसीलदार महोदय छतरपुर के प्रकरण कमांक 23/2012–13 अ– 6 अ में पारित आदेश दिनांक 20.08.2013 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

प्रार्थीगणों की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यह कि, वादग्रस्त भूमि खसरा नं 28 रकवा 3.323 हे0 स्थित ग्राम खौप तहसील व जिला छतरपुर निगरानीकर्तागण के स्वत्व व कब्जे की भूमि है जिसे निगरानीकर्तागणों कमांक–2 लगायत 5 के पिता व निगरानीकर्ता कमांक –1 के पति स्व0श्री जंगबहादुरसिंह ने स्व0सुम्मेरसिंह से कय किया था विकय पत्र का मात्र पंजीयन होना शेष था तथा स्व0सुम्मेरसिंह ने इसी बात का नाजायज लाभ लेकर वाद ग्रस्त संपत्ति का द्वितीय विकय पत्र प्रत्यार्थी अनावेदकगण कमांक–1 व दो को विकीत कर दिया था कथित द्वितीय विकय पत्र अधिकार विहिन व अधिपत्यविहिन था परन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अनावेदक कमांक– 1 व 2 के नाम नामांतरण कर दिया गया । आपत्तियों व विधिक बिन्दुओं पर कोई ध्यान न देकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा भी मात्र यह लिखकर कि अधीनस्थ दो न्यायालयों द्वारा समवर्ती आदेश होने से अपील निरस्त कर दी जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगणों ने माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की जिसका प्रकरण 234/2/2005 है जिसमें आदेश दिनांक 17.11.2011 के द्वारा प्रार्थीगणों की निगरानी निरस्त की गई उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगणों ने श्रीमानजी की न्यायालय में पुर्नअवलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें प्रकरण कमांक 297/2/2013 है । जो कि सुनवाई हेतु नियत किया जाकर लंबित है इसी

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—3220—तीन/2013 जिला—छतरपुर

श्रीमती गायत्री देवी आदि विरूद्ध त्रिलोचन कौर आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25—02—2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार छतरपुर, जिला—छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 23/2012—13/अ—6—अ में पारित आदेश दिनांक 20—08—2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 18—4—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 25/2/2019 (आर.के. जैन) सदस्य	